



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 56 राँची, बुधवार,

1 फरवरी, 2023 (ई०)

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

17 जनवरी, 2023

विषय:- झारखण्ड उदवह सिंचाई अधिनियम 1956 की धारा-23, 24, 28 एवं 29 तथा झारखण्ड सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा- 62, 63 तथा 116(2) के अधीन झारखण्ड राज्यान्तर्गत म्यूनिसिपल व्यावसायिक एवं औद्योगिक जलापूर्ति का जल-दर को पुनरीक्षित करने के संबंध में ।

संख्या- 2/PMC/जलापूर्ति-175/2007- 30--जल संसाधन विभाग गैर-कृषिकारी उपयोग हेतु विभिन्न उपभोक्ताओं को जल उपलब्ध कराता रहा है। म्यूनिसिपल व्यावसायिक एवं औद्योगिक जलापूर्ति हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा समयसमय पर विभागीय आदेश द्वारा जल-दर (Water tariff) निर्धारित की जाती रही है। म्यूनिसिपल एवं औद्योगिक जल-दर (Water tariff) 01 अप्रैल 2011 से प्रति हजार गैलन के आधार पर निर्धारित किया गया था ।

1. 01 अप्रैल 2011 से जल-दर लागू होने के पश्चात् दस वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त इसमें कतिपय संशोधनों की आवश्यकता महसूस की गई है ।

2. देश के अन्य राज्यों (यथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, प० बंगाल, बिहार) में लागू जल-दरों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात विभिन्न जलस्रोतों (यथा प्राकृतिक नदी/नाला आदि, जलाशय तथा नहर) से झारखण्ड राज्य में औद्योगिक इकाईयों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा औद्योगिक/व्यावसायिक उपयोग एवं औद्योगिक इकाईयों/निजी एवं सरकारी संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग हेतु 01 अप्रैल 2023 से प्रति हजार लीटर की इकाई के आधार पर जल-दर निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है :-

(जल-दर ₹० प्रति 1000 लीटर)

क्र.सं.	जल उपयोग का प्रयोजन	जल स्रोत का प्रकार		
		प्राकृतिक जलस्रोत (नदी, नाला, जलधारा)	जलाशय एवं जलाशय का Down stream (D/S)	निर्मित नहर
1	2	3	4	5
I	औद्योगिक इकाईयों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिये औद्योगिक/व्यावसायिक उपयोग हेतु	4.50	13.00	32.00
II	पेयजल एवं म्यूनिसिपल उपयोग हेतु			
(a)	औद्योगिक इकाईयों/निजी संस्थानों/निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापूर्ति हेतु	4.30	4.30	16.00
(b)	शहरी क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, माडा- धनबाद, माडा- हजारीबाग एवं अन्य सरकारी संस्थान द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापूर्ति हेतु	3.80	3.80	6.50
(c)	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पंचायती राज संस्थानों एवं अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापूर्ति हेतु	0	0	4.30

3. उपरोक्त कंडिका-2 में निर्धारित की गई जल-दरें अधिसूचना 01/04/2023 से प्रभावी होगी ।

4. मुद्रा स्फीति की दरों में औसत वृद्धि के आलोक में उपरोक्त कंडिका 2 में अंकित जल-दरों में प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 से अर्थात् 01 अप्रैल 2024 से 7.5% वृद्धि (वार्षिक चक्रवृद्धि दर से) कर पुनरीक्षित जल-दर लागू होगी। इसके बाद के आगामी वर्षों में भी जल-दरों में प्रतिवर्ष 7.5% की वृद्धि (वार्षिक चक्रवृद्धि दर से) लागू होगी।
5. एकरारनामा आधारित जलावंटन की मात्रा के अनुरूप विभाग द्वारा निर्गत विपत्र के आधार पर प्रत्येक माह निर्धारित तिथि के अन्तर्गत विपत्र का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में विलम्बित भुगतान अधिभार अर्थात् DPS (Delayed Payment Surcharge) 2% (दो प्रतिशत) प्रतिमाह (मासिक चक्रवृद्धि दर से) की दर से राशि वसूली जाएगी।
6. उपभोक्ता संस्थान द्वारा उनको आवंटित वार्षिक जल की मात्रा के विपत्र की सम्पूर्ण राशि का भुगतान एकमुश्त वर्ष के प्रथम तिमाही में ही करने पर कुल वार्षिक विपत्र की राशि में पाँच प्रतिशत (5%) की छूट दी जायगी।
7. इस आदेश में निहित मुख्य तकनीकी शब्दों की परिभाषा निम्नवत है:-
जल-दर (Water tariff) - विभिन्न औद्योगिक इकाइयों/व्यापारिक संस्थानों/निजी या सरकारी संस्थानों/या अन्य किसी एजेंसी द्वारा लिये जा रहे जलापूर्ति के एवज में सरकार को प्रति हजार लीटर जलापूर्ति के लिए भुगतनेय राशि (रुपया में)।
औद्योगिक इकाई- झारखंड राज्य में स्थापित किसी भी श्रेणी/प्रकार (Small/ Medium/ Large/ Private/ Public Sector/ Joint Sector या अन्य सभी इकाई जो Industry के रूप में परिभाषित है) की औद्योगिक इकाई।
व्यावसायिक इकाई/प्रतिष्ठान- झारखंड राज्य में स्थापित किसी भी प्रकार की व्यावसायिक इकाई/प्रतिष्ठान जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के माध्यम से लाभ अर्जित करना है एवं जो व्यापार के रूप में परिभाषित है।
D/S of reservoir- Where assured water is supplied through a dam in down stream (D/S) of river.
8. अन्य सभी तकनीकी शब्दावलि या मानक पुस्तकों में यथा परिभाषित।
9. इस आदेश पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव

जल संसाधन विभाग।
